

- उपस्थित :-1-श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता-वादी की ओर से
2-श्री भवानी सिंह निर्बाण अधिवक्ता-प्रतिवादीगण की ओर से
3-पैरोकार राज-प्रतिवादीसंख्या 19

:: निर्णय ::

दिनांक:-8/12/21

वादपत्र के संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के नाम से चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 12/25 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है, चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन में वादी का 169/1012 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 84/253 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 169/1012 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 169/506 हिस्सा दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 75/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 12/2/0.127, 13/0.253 कुल 0.380 हैक्टेयर बरानी में वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/2 हिस्सा दर्ज है, चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू "ए" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 32/20 के पत्थर नंबर 131/213 (31) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 7 से 10 कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का बहिस्सा बराबर दर्ज है, चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 10/13 के पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6, 15, 16, 25/0.177, पत्थर नंबर 129/210 (25) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9 से 11, 20, 21/0.177 कुल 2.884 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन में प्रतिवादी संख्या 5 व 9 बहिस्सा बराबर दर्ज है, चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/24 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 से 9, 12 से 19, 22/0.177, 23/0.177, 24/0.177, 25/0.177, पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 7 से 14, 17 से 20, 21 से 24 प्रत्येक 0.177 कुल 8.753 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन में प्रतिवादी संख्या 1 का 5060/26259 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 5060/26259 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3

मिलाजु किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(4)

का 5060/26259 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 3693/2753 हिस्सा दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 37/26 के पत्थर नंबर 127/214 (20) किला नंबर 11, 17, 18, 19, 20, 21/1/0.228, 21/2/0.025, 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/1/0.025, 23/3/0.102, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9, 12, 13, 18, 19, 20 कुल 3.669 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 56/41 के पत्थर नंबर 129/216 (34) किला नंबर 5, 6, 15, पत्थर नंबर 130/215 (24) किला नंबर 22 से 24, 25/1/0.203, 25/2/0.025, पत्थर नंबर 130/216 (35) किला नंबर 1 से 4, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.203, 6/2/0.025, 6/3/0.025, 7 से 14, 15/1/0.203, 15/2/0.025, 15/3/0.025, 18, 19/0.228, 19/2/0.025, पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी व अन्नकमाण्ड मय गैरमुमकिन में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 53/81 के पत्थर नंबर 130/218 (48) किला नंबर 1/3/0.114, 1/4/0.013 कुल 0.127 हैक्टेयर प्रतिवादिया संख्या 14 के नाम दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 54/40 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 4/0.253 प्रतिवादिय संख्या 14 के नाम दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 26/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 7, 8, 17/2/0.126, 18 कुल 0.885 हैक्टेयर वारापी प्रथम प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 27/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 19, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 4 व 6 बहिस्सा बराबर दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 14, 17/1/0.127 कुल 0.380 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज है, चक नंबर 6 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 59/44 के पत्थर नंबर 120/218 (84) किला नंबर 16/1/0.038, पत्थर नंबर 121/218 (85) किला नंबर 19/2/0.186, 20/0.253 कुल 0.477 हैक्टेयर वादी के दादा स्व० श्री जगजीत सिंह के नाम दर्ज है, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 111/96 के पत्थर नंबर 128/211 (7) किला नंबर 5/1/0.177, 6, 15, 16 कुल 0.936 हैक्टेयर प्रतिवादिया संख्या 7 के नाम दर्ज है। वादी के दादा स्व० श्री जगजीत सिंह का देहान्त हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित होने के कारण पैतृक कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के नाम वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि को वादी के दादा स्व० श्री जगजीत सिंह के द्वारा संयुक्त परिवार की आय से अर्जित कर वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दी गई लेकिन अर्सा दराज पूर्व वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी मंदा के लिहाज से घराघरू विभाजन किया हुआ है। मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी के दादा जगजीत सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादिया संख्या 10 से 13 कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है, उन्होने अपना हक व हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। मुताबिक

मिरान किया

प्रमाणित प्रतिनिधि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

घरू बंटवारा निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि अच्छी मंदी के लिहाज से वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन में प्राप्त हुई है :-

- (क) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 26/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 7, 8, 17/2/0.126, 18 कुल 0.885 हैक्टेयर।
चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 27/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 19, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टेयर।
चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 14, 17/1/0.127 कुल 0.380 हैक्टेयर,
वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिरसा बराबर।
- (ख) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "ए" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 32/20 के पत्थर नंबर 131/213 (31) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 7 से 10 कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी व अन्नकामण्ड मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह
- (ग) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 10/13 के पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6, 15, 16, 25/0.177, पत्थर नंबर 129/210 (25) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9 से 11, 20, 21/0.177 कुल 2.884 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह, प्रतिवादिया संख्या 9 गुरमेल कौर बहिरसा बराबर।
- (घ) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 12/25 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह।
- (ङ) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/24 के पत्थर नंबर 127/210 (28) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 से 9, 12 से 19, 22/0.177, 23/0.177, 24/0.177, 25/0.177, पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 7 से 14, 17 से 20, 21 से 24 प्रत्येक 0.177 कुल 8.753 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 1 जसवन्त सिंह व प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह बहिरसा बराबर।
- (च) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह।
- (छ) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 111/96 के पत्थर नंबर 128/211 (7) किला नंबर 5/1/0.177, 15, 16 कुल 0.683 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह।
- (ज) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 37/26 के पत्थर नंबर 127/214 (20) किला नंबर 11, 17, 18, 19, 20, 21/1/0.228, 21/2/0.025, 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/1/0.025, 23/3/0.102, पत्थर नंबर

निम्न निम्न

d

प्रमाणित प्रतिनिधि

उपसंग्रह अधिकारी

128/212 (10) किला नंबर 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9, 12, 13, 18, 19, 20 कुल 3.669 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.949 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह 2.720 हैक्टेयर।

(झ) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 58/41 के पत्थर नंबर 129/216 (34) किला नंबर 5, 6, 15, पत्थर नंबर 130/215 (24) किला नंबर 22 से 24, 25/1/0.203, 25/2/0.025, पत्थर नंबर 130/216 (35) किला नंबर 1 से 4, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.203, 6/2/0.025, 6/3/0.025, 7 से 14, 15/1/0.203, 15/2/0.025, 15/3/0.025, 18, 19/0.228, 19/2/0.025, पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन।

चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 53/81 के पत्थर नंबर 130/218 (48) किला नंबर 1/3/0.114, 1/4/0.013 कुल 0.127 हैक्टेयर,

चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 54/40 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 4/0.253 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 सुखमन्त्र सिंह।

(ण) चक नंबर 6 के.के.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 59/44 के पत्थर नंबर 120/218 (84) किला नंबर 16/1/0.038, पत्थर नंबर 121/218 (85) किला नंबर 19/2/0.186, 20/0.253 कुल 0.477 हैक्टेयर, प्रतिवादिया संख्या 14 बलजीत कौर।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण को अट्टी मंदा के हिसाब से घरू विभाजन में प्राप्त हुई है व घरू बंटवारा अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण उक्त भूमि जो वादपत्र के पैस संख्या-4 में वर्णित है, की वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व इसी कदर खाता तकसीम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि के चक 3 के.के.डब्ल्यू. 'ए' के खाता संख्या 32/20 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, चक 3 के.के.डब्ल्यू. 'बी' के खाता संख्या 10/13 में प्रतिवादी संख्या 5, इसी चक के खाता संख्या 12/25 में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 8, इसी चक के खाता संख्या 20/24 में प्रतिवादी संख्या 3, 12, 14, इसी चक के खाता संख्या 11/14 में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व 8, चक 4 के.के.डब्ल्यू. के खाता संख्या 37/26 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, इसी चक के खाता संख्या 56/41 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3, इसी चक के खाता संख्या 53/81 में प्रतिवादिया संख्या 14, इसी चक के खाता संख्या 54/40 में प्रतिवादिया संख्या 14, इसी चक के खाता संख्या 26/77 में प्रतिवादी संख्या 4, इसी चक के खाता संख्या 27/17 में प्रतिवादी संख्या 4, 6 व इसी चक के खाता संख्या 52/17 में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.11.2021 को वादीगण व प्रतिवादीगण ने जरिये अपने अपने वकुलाए व स्वयं प्रशासन गांवों के संग शिवर वमुकाम रोड़ावाली में हाजिर आये तथा

मिलान किया

.....

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

राजीनामा पेश किया तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 15 से 18 औपचारिक पक्षकार है जिनके हितों का ध्यान निर्णय व डिक्री में रखा जाता है। प्रतिवादी संख्या 19 पैरोकार राज ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

पत्रावली पर प्रस्तुत दावे में वादी व प्रतिवादीगण के कोई विरोधाभास नहीं होने की सूरत में वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया। वादी ने शपथ पत्र पेश किया जिसमें हल्फन बयान किया कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक है तथा वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है, उक्त भूमि मुताबिक घराघरू बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा कारत में है, सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया है किसी आयज वारिस पुत्र पुत्री को नहीं छोड़ा गया है, प्रतिवादीगण संख्या 10 से 13 ने वादी के दादा जगजीत सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेने व अपना हक व हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क करने तथा मुताबिक वादपत्र वादी डिक्री किये जाने के संबंध में अपने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये। इस वादप्रस्त भूमि बाबत कोई स्थगन नहीं है। इस भूमि बाबत भविष्य में कोई बकाया होगा तो उसकी भरपाई की जिम्मेवारी जिसके हिस्से में जमीन आयेगी, उसकी ही होगी। हम पक्षकारान भविष्य में कोई रास्ता खाला का विवाद नहीं करेंगे अगर किसी अन्य रास्ता खाला की जरूरत पड़ती है तो आपसी समझौते से उसे रास्ते के विवाद का निस्तारण करेंगे।

उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उभय पक्षों को सुना गया। दोराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत वादपत्र में कोई विरोधाभास नहीं होने के कारण वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना स्थायीकृत है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि (क) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 26/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 7, 8, 17/2/0.126, 18 कुल 0.885 हैक्टेयर, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 27/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 19, 22, 23 कुल 0.759 हैक्टेयर, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 52/17 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 14, 17/1/0.127 कुल 0.380 हैक्टेयर, वादी व प्रतिवादी संख्या 8 को बहिस्सा बराबर, (ख) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "ए" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 32/20 के पत्थर नंबर 131/213 (31) किला नंबर 1/1/0.215, 1/2/0.038, 2/1/0.215, 2/2/0.038, 3/1/0.215, 3/2/0.038, 4/1/0.215, 4/2/0.038, 7 से 10 कुल 2.024 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह, (ग) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 10/13 के पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर

मिलान किया

.....d.....

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

...7

5/1/0.228, 5/2/0.025, 6, 15, 16, 25/0.177, पत्थर नंबर 129/210 (25) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9 से 11, 20, 21/0.177 कुल 2.884 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह, प्रतिवादिया संख्या 9 गुरमेल कौर बहिस्सा बराबर, (घ) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 12/25 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह, (ङ) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 20/24 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 5/1/0.228, 5/2/0.025, 6 से 9, 12 से 19, 22/0.177, 23/0.177, 24/0.177, 25/0.177, पत्थर नंबर 128/210 (24) किला नंबर 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 7 से 14, 17 से 20, 21 से 24 प्रत्येक 0.177 कुल 8.763 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 1 जसवन्त सिंह व प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह बहिस्सा बराबर, (च) चक नंबर 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 11/14 के पत्थर नंबर 127/210 (23) किला नंबर 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025 कुल 0.506 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह, (छ) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 111/96 के पत्थर नंबर 128/211 (7) किला नंबर 5/1/0.177, 15, 16 कुल 0.683 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह, (ज) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 37/26 के पत्थर नंबर 127/214 (20) किला नंबर 11, 17, 18, 19, 20, 21/1/0.228, 21/2/0.025, 22/1/0.228, 22/2/0.025, 23/1/0.025, 23/3/0.102, पत्थर नंबर 128/212 (10) किला नंबर 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9, 12, 13, 18, 19, 20 कुल 3.669 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या 4 गुरसेवक सिंह 0.949 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 6 बलकरण सिंह 2.720 हैक्टेयर, (झ) चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 56/41 के पत्थर नंबर 129/216 (34) किला नंबर 5, 6, 15, पत्थर नंबर 130/215 (24) किला नंबर 22 से 24, 25/1/0.203, 25/2/0.025, पत्थर नंबर 130/216 (35) किला नंबर 1 से 4, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.203, 6/2/0.025, 6/3/0.025, 7 से 14, 15/1/0.203, 15/2/0.025, 15/3/0.025, 18, 19/0.228, 19/2/0.025, पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11 कुल 7.337 हैक्टेयर नहरी व अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 53/81 के पत्थर नंबर 130/218 (48) किला नंबर 1/3/0.114, 1/4/0.013 कुल 0.127 हैक्टेयर, चक नंबर 4 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 54/40 के पत्थर नंबर 131/216 (36) किला नंबर 4/0.253 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 सुखमन्द्र सिंह, (ण) चक नंबर 6 के.के.डब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 59/44 के पत्थर नंबर 120/218 (84) किला नंबर 16/1/0.038, पत्थर नंबर 121/218 (85) किला नंबर 19/2/0.186, 20/0.253 कुल 0.477 हैक्टेयर, प्रतिवादिया संख्या 14 बलजीत कौर खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक घोषणा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा उक्तानुसार खाता तकसीम किया जाता है तथा चक 3 के.के.डब्ल्यू 'ए' के खाता संख्या 32/20 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, चक 3 के.के.डब्ल्यू, "बी" के खाता संख्या 10/13 में प्रतिवादी संख्या 5, इसी चक के खाता संख्या

3
सहायक कमिश्नर
एन आर डी
हनुमानगढ़

मिलान किया
८

प्रमाणित प्रतिनिधि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

12/25 में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 8, इसी चक के खाता संख्या 20/24 में प्रतिवादी संख्या 3, 12, 14, इसी चक के खाता संख्या 11/14 में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व 8, चक 4 के.के.डब्ल्यू के खाता संख्या 37/26 में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, इसी चक के खाता संख्या 56/41 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3, इसी चक के खाता संख्या 53/81 में प्रतिवादी संख्या 14, इसी चक के खाता संख्या 54/40 में प्रतिवादी संख्या 14, इसी चक के खाता संख्या 26/77 में प्रतिवादी संख्या 4, इसी चक के खाता संख्या 27/17 में प्रतिवादी संख्या 4, 6 व इसी चक के खाता संख्या 52/17 में प्रतिवादी संख्या 6 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। कब्जा नहीं होने व किसी न्यायालय के स्थगन होने की सूरत में डिक्री की पालना नहीं करे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम की जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी, बारानी, गैरमुमकिन/ गैरखातेदार/ आराजीराज पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/12/21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

डॉ० अवि गर्ग

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

हनुमानगढ़

कैम्प ग्रा.प. डबलीवास

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

मिशन किया

d